अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न – पीएफसी के 85 कैपिटल गेन टैक्स एग्जंप्शन बॉन्ड

1. **पीएफसी के कैपिटल गेन बॉन्ड में कौन आवेदन (निवेश की पात्रता) कर सकता है?**

   पीएफसी के कैपिटल गेन बॉन्ड जारी करने के लिए निम्नलिखित पात्र हैं:

   i. व्यक्तिय
   ii. हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ)
   iii. पार्टनरशिप फर्म
   iv. बीमा कंपनी
   v. कंपनियां और निगमित निकाय
   vi. भविष्य निधि, सुपरएनुएशन फंड और ग्रेच्युटी फंड
   vii. बैंक
   viii. म्यूचुअल फंड
   ix. वित्तीय संस्थाएं (एफआई)
   x. विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (मौजूदा विनियमों के अध्यधीन)
   xi. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
   xii. एनआरआई/अन्य विदेशी पात्र निवेशक जो गैर-प्रत्यावर्तनीय आधार पर एनआरओ खाते से निवेश करते हैं
   xiii. सहकारी बैंक
   xiv. सीमित देयता भागीदारी

2. **मैं पीएफसी के 85 बॉन्ड में कितनी राशि निवेश कर सकता/सकती हूं?**

आप पीएफसी के 85 बॉन्ड में 10,000 रुपए के गुणकों में निवेश कर सकते हैं, जो निम्नलिखित अधिकतम सीमा के अध्यधीन है:

न्यूनतम :	10,000/- रुपए प्रत्येक के 2 बॉन्ड (अर्थात 20,000 रुपए)
अधिकतम :	10,000/- रुपए प्रत्येक के 500 बॉन्ड (अर्थात 50 लाख रुपए)

3. **पीएफसी के 85 बॉन्ड पर ब्याज दर क्या है?**

वर्तमान में, पीएफसी के कैपिटल गेन बॉन्ड पर दी जा रही ब्याज दर 5.25% प्रति वर्ष है, जो वार्षिक आधार पर देय है।

4. **पीएफसी के 85 बॉन्ड की अवधि क्या है?**

वर्तमान में, पीएफसी के 85 बॉन्ड की परिपक्वता अवधि 5 वर्ष है।

5. **क्या मैं पीएफसी के 85 बॉन्ड को बेच या हस्तांतरित कर सकता/सकती हूं? क्या ये बॉन्ड स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं?**

जी नहीं। 85 बॉन्ड गैर-हस्तांतरणीय, गैर-विपणन योग्य, गैर-नेगोशिएबल हैं और इन्हें किसी भी ऋण या अग्रिम के लिए प्रतिभूति के रूप में पेश नहीं किया जा सकता है। गैर-हस्तांतरणीयता के कारण, बॉन्ड को खरीद/बिक्री के लिए किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं किया गया है।

तथापि, बॉन्डधारक/बॉन्ड लाभार्थी की मृत्यु की स्थिति में बॉन्ड को कानूनी उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित करने की अनुमति है।

6. **क्या मैं पीएफसी के 85 बॉन्ड को अपने डीमैट खाते में प्राप्त कर सकता हूं।**

जी हां, आप पीएफसी के 85 बॉन्ड को डीमैट खाते में क्रेडिट के लिए विकल्प चुन सकते हैं या फिजिकल बॉन्ड प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकते हैं।

7. **जोखिम को समझने में सक्षम बनाने के लिए कृपया बताएं कि पीएफसी के 85 बॉन्ड की क्रेडिट रेटिंग और प्रतिभूति क्या है?**

पीएफसी के 85 बॉन्ड को घरेलू क्रेडिट रेटिंग एजेंसी(यों) द्वारा एएए रेटिंग दी गई है (क्रिसिल द्वारा 'एएए/स्टेबल', आईसीआरए द्वारा 'एएए (स्टेबल)', और केयर द्वारा 'एएए/स्टेबल') और इन्हें कंपनी की कुल प्राप्तियों और/या चिन्हित चल संपत्ति पर प्रथम/समान प्रभार द्वारा प्रतिभूत किया गया है, जैसा कि कंपनी और डिबेंचर ट्रस्टी के बीच डिबेंचर ट्रस्ट डीड की शर्तों के अनुसार सहमति हो सकती है, जिसमें वे प्राप्तियां शामिल नहीं हैं जिन पर कंपनी द्वारा पहले से ही विशिष्ट प्रभार सृजित किया जा चुका है।

8. **क्या बॉन्ड का स्वामित्व संयुक्त रूप से हो सकता है?**

व्यक्ति/एनआरआई संयुक्त नाम से आवेदन कर सकते हैं और अधिकतम तीन व्यक्ति संयुक्त आवेदन के माध्यम से प्रथम, द्वितीय और तृतीय आवेदक के रूप में आवेदन कर सकते हैं। डीमैट विकल्प के साथ आवेदन के मामले में, संयुक्त आवेदक के नाम का क्रम डीमैट खाते में यथा उल्लिखित के समान होना चाहिए।

9. **क्या मैं पीएफसी के 85 बॉन्ड पर नामांकन सुविधा का लाभ उठा सकता हूं?**

जी हां, पीएफसी के 85 बॉन्ड पर नामांकन सुविधा उपलब्ध है।

एकमात्र व्यक्ति/एनआरआई बॉन्डधारक [या जहां बॉन्ड एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा धारण किए जाते हैं, वहां पहला बॉन्डधारक अन्य संयुक्त बॉन्डधारकों के साथ-साथ व्यक्ति होते हैं] किसी एक व्यक्ति (व्यक्ति होने के नाते) को नामित कर सकता है जो एकमात्र धारक या सभी संयुक्त धारकों की मृत्यु की स्थिति में बॉन्ड पाने का हकदार होगा, जैसा भी मामला हो। जब बॉन्ड दो या अधिक व्यक्तियों द्वारा धारण किए

जाते हैं, तो नामांकित व्यक्ति उत्तराधिकार में सभी बॉन्डधारकों की मृत्यु पर ही राशि (परिपक्वता पर) प्राप्त करने का हकदार होगा।

हालांकि, यदि बॉन्ड डीमैट फॉर्म में हैं, तो जनसांख्यिकीय और नामिती विवरण डीपी आईडी/ग्राहक आईडी से लिया जाएगा और आवेदन पत्र में उल्लिखित नामिती का विवरण, यदि कोई हो, अमान्य होगा।

10. **पीएफसी के 85 कैपिटल गेन बॉन्ड के लिए आवेदन करने के चरण क्या हैं और पीएफसी के 85 कैपिटल गेन टैक्स एग्जंप्शन बॉन्ड में निवेश के लिए मुझे किसके पक्ष में भुगतान करना चाहिए?**

(I) चेक / डिमांड ड्राफ्ट द्वारा भुगतान

(i) आवेदन पत्र को अरेंजर से प्राप्त करें (अरेंजर की सूची https://pfcindia.co.in/ensite/DocumentRepository/ckfinder/files/Investors/Bonds/54EC/IX/Arramger%20contact%20details%20Series%20IX(1) पर उपलब्ध है) **या** इसे सीधे https://kosmic.kfintech.com/PFC/download_applns.aspx से डाउनलोड करें।

(ii) आवेदन पत्र भरें और फॉर्म में उल्लिखित स्व-सत्यापित अपेक्षित केवाईसी दस्तावेज संलग्न करें।

(iii) "पीएफसी कैपिटल गेन बॉन्ड" के पक्ष में अपेक्षित राशि का चेक बनाएं या डिमांड ड्राफ्ट प्राप्त करें। *(डिमांड ड्राफ्ट शुल्क निवेशक द्वारा वहन किया जाएगा)*

(iv) आवेदन पत्र में चेक/डिमांड ड्राफ्ट का विवरण अंकित करें।

(v) विधिवत भरे हुए मूल आवेदन पत्र को अपेक्षित दस्तावेजों और चेक/डिमांड ड्राफ्ट के साथ अधिकृत बैंक शाखाओं में जमा करें। अधिकृत बैंक शाखाओं की सूची यहां उपलब्ध है (https://pfcindia.co.in/ensite/DocumentRepository/ckfinder/files/Investors/Bonds/54EC/IX/List%20of%20Collection%20Centres%20-%20PFC%2054EC%20Bonds%20-%20Series%20IX.pdf)

[यह सराहनीय होगा कि दस्तावेजों की स्कैन प्रति अग्रिम प्रति के रूप में ***54ECAllotment@pfcindia.com*** *पर ई-मेल भी की जा सकती है]*

<u>विकल्प II</u> : आरटीजीएस/एनईएफटी/प्रत्यक्ष क्रेडिट के माध्यम से भुगतान

इस विकल्प के तहत निवेशक के पास निम्नलिखित जानकारी और दस्तावेज होने चाहिए:

क. ई-मेल आईडी
ख. मोबाइल नंबर
ग. डीमैट मोड के मामले में स्व-सत्यापित सीएमएल प्रति *(पीडीएफ प्रारूप में)*

घ. स्व-सत्यापित पहचान प्रमाण *(पीडीएफ प्रारूप में)*
ड.. स्व-सत्यापित पता प्रमाण *(पीडीएफ प्रारूप में)*
च. फिजिकल बॉन्ड प्रमाणपत्र के साथ आवेदन के लिए रद्द चेक *(पीडीएफ प्रारूप में)*

चरण 1:

1. "आवेदन पत्र भरें" बटन पर क्लिक करें- https://kosmic.kfintech.com/PFC/offline_applicationform.aspx
2. आवेदन पत्र ऑनलाइन भरने के बाद, पृष्ठ के नीचे "सबमिट" बटन पर क्लिक करें।
3. आवेदन सफलतापूर्वक जमा होने पर आवेदन पत्र में भरे गए मोबाइल नंबर पर एसएमएस भेजा जाएगा।
4. विधिवत भरा हुआ आवेदन पत्र डाउनलोड करें।
5. आवेदन पत्र का प्रिंट लें और आवेदन पत्र पर उचित स्थानों पर हस्ताक्षर करें।
6. आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से भुगतान करें और यूटीआर नंबर प्राप्त करें। कृपया ध्यान दें कि लेनदेन संख्या और यूटीआर नंबर अलग-अलग हैं।
7. आवेदन पत्र में संबंधित बॉक्स में यूटीआर नंबर अंकित करें।
8. सभी आवेदकों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित आवेदन प्रति को स्कैन करें और उसे पीडीएफ प्रारूप में सेव करें।

चरण 2:

9. "आवेदन और केवाईसी दस्तावेज अपलोड करें" बटन पर क्लिक करें।
10. आवेदन पत्र को मान्य करने के लिए आवेदन पत्र भरते समय प्रस्तुत किए गए आवेदन विवरण (आवेदन संख्या, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर) दर्ज करें।
11. अपने ई-मेल और मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त करने के लिए "ओटीपी प्राप्त करें" बटन पर क्लिक करें।
12. मोबाइल/ई-मेल आईडी पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें और "वैलिडेट" पर क्लिक करें।
13. सत्यापन होने पर, आवेदन की जानकारी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगी।

चरण 3:

14. भुगतान विंडो पर आगे बढ़ने के लिए निम्नलिखित को पीडीएफ प्रारूप में अपलोड करें
    क. हस्ताक्षरित आवेदन पत्र का स्कैन *(पीडीएफ प्रारूप में)*
    ख. स्व-सत्यापित पहचान प्रमाण का स्कैन *(पीडीएफ प्रारूप में)*
    ग. स्व-सत्यापित पता प्रमाण का स्कैन *(पीडीएफ प्रारूप में)*
    घ. भौतिक रूप से बॉन्ड के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों हेतु रद्द चेक (स्व-सत्यापित) का स्कैन *(पीडीएफ प्रारूप में)*
15. उपर्युक्त दस्तावेज अपलोड करने पर, यह "सबमिट" बटन को एनेबल करेगा।
16. "सबमिट" बटन पर क्लिक करें। सफल सबमिशन पर एक सक्सेस मैसेज प्रदर्शित होगा।

[यह सराहनीय होगा कि दस्तावेजों की स्कैन प्रति अग्रिम प्रति के रूप में 54ECAllotment@pfcindia.com पर ई-मेल भी की जा सकती है]

विकल्प III : नेट बैंकिंग / डेबिट कार्ड के माध्यम से भुगतान

आवेदक बॉन्ड के लिए आवेदन करने हेतु पीएफसी की वेबसाइट https://kosmic.kfintech.com/PFC/online_applicationform.aspxके माध्यम से उपलब्ध ऑनलाइन प्रणाली का उपयोग कर सकते हैं। निवेशक ऑनलाइन आवेदन पत्र भरकर जमा कर सकता है और दिए गए भुगतान गेटवे का उपयोग करके नेट बैंकिंग / डेबिट कार्ड के माध्यम से भुगतान कर सकता है। प्रक्रिया में शामिल चरण निम्नानुसार हैं:

इस विकल्प के अंतर्गत आवेदन पत्र भरने के लिए निवेशक के पास निम्नलिखित जानकारी और दस्तावेज होने चाहिए:

क. ई-मेल आईडी
ख. मोबाइल नंबर
ग. स्व-सत्यापित पहचान प्रमाण *(पीडीएफ प्रारूप में)*
घ. स्व-सत्यापित पता प्रमाण *(पीडीएफ प्रारूप में)*
ड.. भौतिक बॉन्ड प्रमाण पत्र के साथ आवेदन के लिए रद्द चेक *(पीडीएफ प्रारूप में)*

चरण 1 :

1. "ऑनलाइन आवेदन पत्र भरें" बटन पर क्लिक करें।
2. आवेदन पत्र ऑनलाइन भरने के बाद, पृष्ठ के नीचे "सबमिट" बटन पर क्लिक करें।
3. आवेदन सफलतापूर्वक जमा होने पर आवेदन पत्र में भरे गए मोबाइल नंबर पर एसएमएस भेजा जाएगा।
4. विधिवत भरा हुआ आवेदन पत्र डाउनलोड करें।
5. आवेदन पत्र का प्रिंट लें और आवेदन पत्र पर उचित स्थानों पर हस्ताक्षर करें।
6. सभी आवेदकों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित आवेदन प्रति को स्कैन करें और उसे पीडीएफ प्रारूप में सेव करें।

चरण 2 :

7. "आवेदन/केवाईसी दस्तावेज अपलोड करें और ऑनलाइन भुगतान के लिए आगे बढ़ें" बटन पर क्लिक करें।
8. आवेदन पत्र को मान्य करने के लिए आवेदन पत्र भरते समय प्रस्तुत किए गए आवेदन विवरण (आवेदन संख्या, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर) दर्ज करें।
7. अपने ई-मेल और मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त करने के लिए "ओटीपी प्राप्त करें" बटन पर क्लिक करें।
8. मोबाइल/ई-मेल आईडी पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें और "वैलिडेट" पर क्लिक करें।
9. सत्यापन होने पर, आवेदन की जानकारी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगी।

चरण 3:

12. भुगतान विंडो पर आगे बढ़ने के लिए निम्नलिखित को पीडीएफ प्रारूप में अपलोड करें
    क. हस्ताक्षरित आवेदन पत्र का स्कैन *(पीडीएफ प्रारूप में)*

ख. स्व-सत्यापित पहचान प्रमाण का स्कैन *(पीडीएफ प्रारूप में)*
ग. स्व-सत्यापित पता प्रमाण का स्कैन *(पीडीएफ प्रारूप में)*
घ. फिजिकल मोड से बॉन्ड के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों हेतु रद्द चेक (स्व-सत्यापित) का स्कैन *(पीडीएफ प्रारूप में)*

13. उपर्युक्त दस्तावेज अपलोड करने पर भुगतान गेटवे एनेबल हो जाएगा।
14. नेट बैंकिंग / डेबिट कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान करने के लिए "भुगतान के लिए आगे बढ़ें" बटन पर क्लिक करें।

चरण 4:

15. नेट बैंकिंग / डेबिट कार्ड के माध्यम से भुगतान करें।
16. सफल/असफल भुगतान पर एक पावती जनरेट की जाएगी तथा आवेदन पत्र में दिए गए ई-मेल पर भेज दी जाएगी।

[यह सराहनीय होगा कि दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रति अग्रिम प्रति के रूप में 54ECAllotment@pfcindia.com पर ई-मेल भी की जा सकती है]

11. क्या आप मुझे पीएफसी के 85 बॉन्ड के लिए आवंटन तिथि, बॉन्ड प्रमाणपत्र की डिलीवरी की तिथि / डीमैट खाते में जमा, ब्याज भुगतान की तिथि और परिपक्वता तिथि जैसी विभिन्न मुख्य तिथियों की सूची दे सकते हैं?

पीएफसी के कैपिटल गेन टैक्स एग्जंप्शन बॉन्ड के तहत निवेश उस तारीख से प्रभावी होगा जिस दिन पीएफसी के खाते में धनराशि जमा होगी।

आवंटन प्रक्रिया मानक है और दी गई अवधि के दौरान सभी सब्स्क्रिप्शन के लिए केवल पाक्षिक रूप से निष्पादित की जाती है। निधि प्राप्ति की तिथि और आवंटन की मानित तिथि, दोनों का उल्लेख आवंटन एडवाइस पर किया जाएगा। सांकेतिक समयसीमाएं निम्नानुसार हैं:

विवरण	पीएफसी कैपिटल गेन टैक्स एग्जंप्शन बॉन्ड के लिए समयसीमाएं
1 से 15 तारीख के दौरान पीएफसी खाते में प्राप्त राशि	उस माह का आवंटन अंतिम दिन
माह के 16वें दिन से अंतिम दिन तक पीएफसी खाते में प्राप्त राशि	आबंटन अगले महीने की 15 तारीख को
बॉन्ड का डीमैट क्रेडिट (यदि डीमैट मोड चुना गया हो)	आवंटन के बाद 10 कार्य दिवसों के भीतर बॉन्ड डीमैट खाते में जमा कर दिए जाएंगे
डिस्पैच (फिजिकल प्रमाण पत्र या आवंटन एडवाइस)	आवंटन के बाद 10-25 कार्य दिवसों के भीतर प्रमाण पत्र भेज दिए जाएंगे
आबंटन की मानित तिथि	उस माह का अंतिम दिन जिसमें पीएफसी खाते में धनराशि प्राप्त हुई
ब्याज भुगतान	ब्याज का भुगतान प्रत्येक वर्ष 31 जुलाई को (वास्तविक दिनों के आधार पर) किया जाता है। ब्याज निधि की प्राप्ति की तारीख से प्रभावी होता है। (किसी वर्ष की 31 मई तक किए गए आबंटनों के संबंध में प्रथम ब्याज उसी वर्ष की 31 जुलाई को लगाया

	जाएगा। बाद के आबंटनों पर प्रथम ब्याज अगले वर्ष की 31 जुलाई को लगाया जाएगा।)

टिप्पणी:

1. **आबंटन की मानित तिथि उस माह का अंतिम दिन होगी जिसमें पीएफसी के खाते में राशि प्राप्त हुई हो।**
2. **पीएफसी के खाते में राशि प्राप्ति की तारीख से प्रभावी होगा।**
3. **ब्याज प्रत्येक वर्ष 31 जुलाई को परिपक्वता तक देय होगा तथा शेष राशि परिपक्वता पर देय होगी।**
4. **यदि ब्याज/परिपक्वता की देय तिथि अवकाश के दिन पड़ती है, तो उसमें उपयुक्त परिवर्तन किया जाएगा, जैसा कि पीएफसी और इश्यू रजिस्ट्रार की वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना ज्ञापन में बताया गया है।**

आबंटन और डिस्पैच विवरण नीचे दिए गए लिंक पर देखे जा सकते हैं:
https://kosmic.kfintech.com/PFC/pfc_query_window.aspx

ईमेल आईडी: 54ECAllotment@pfcindia.com

12. मुझे अपने फिजिकल बॉन्ड प्रमाणपत्र की डिलीवरी कब मिलेगी / डीमैट खाते में बॉन्ड क्रेडिट कब होगा?

कृपया ऊपर प्रश्न 11 में वर्णित सांकेतिक समयसीमा देखें।

यदि आपको उक्त अवधि तक फिजिकल प्रमाणपत्र या आपके डीमैट खाते में बॉन्ड क्रेडिट नहीं होते हैं, तो आप पीएफसी से ईमेल @ 54ECAllotment@pfcindia.com या इश्यू रजिस्ट्रार से ईमेल @ Einward.ris@kfintech.com या डाक के माध्यम से निम्नलिखित पते पर संपर्क कर सकते हैं:-

<u>इश्यू रजिस्ट्रार</u>:

केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड
(इकाई : पीएफसी 85 बॉन्ड)
सेलेनियम टॉवर बी,
प्लॉट संख्या 31 और 32,
वित्तीय जिला, नानकरामगुडा,
सेरीलिंगमपल्ली
हैदराबाद रंगारेड्डी,
तेलंगाना - 500 032

टेलीफोन: +91 40 67162222
फैक्स:+ 91 40 2343 1551

ईमेल : einward.ris@kfintech.com
वेबसाइट: www.kfintech.com

आपके संचार की एक प्रति पीएफसी को निम्नलिखित पते पर भी भेजी जा सकती है:-

जारीकर्ता / कंपनी:

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
(54ईसी यूनिट)
ऊर्जानिधि, 1, बाराखंबा लेन,
कनॉट प्लेस,
नई दिल्ली – 110001.

टेलीफोन: +91 11 23456000

ई-मेल: आवंटन संबंधी मामलों के लिए: 54ECAllotment@pfcindia.com
सर्विसिंग से संबंधित मामलों के लिए: 54ECinvestorcell@pfcindia.com

यह सलाह दी जाती है कि आप अपना ईमेल अपने पंजीकृत ईमेल आईडी से ही भेजें।

13. **मुझे पीएफसी के 85 बॉन्ड पर ब्याज कब मिलेगा?**

कृपया ऊपर प्रश्न 11 में वर्णित सांकेतिक समयसीमा देखें।

आवंटित बॉन्ड पर ब्याज का भुगतान प्रत्येक वर्ष 31 जुलाई (आवंटन की मानित तिथि के बाद) को किया जाएगा, जब तक कि उक्त बॉन्ड का मोचन नहीं हो जाता और शेष राशि 85 बॉन्ड की मोचन/परिपक्वता राशि के साथ दी जाएगी। मोचन/परिपक्वता तिथि 85 बॉन्ड के आवंटन की मानित तिथि से 5 वर्ष (वर्तमान में) होगी।

किसी वर्ष की 31 मई तक किए गए आबंटनों के संबंध में पहला ब्याज उसी वर्ष की 31 जुलाई को लगाया जाएगा। बाद के आबंटनों पर पहला ब्याज अगले वर्ष की 31 जुलाई को लगाया जाएगा। रिकॉर्ड तिथि ब्याज भुगतान तिथि से 15 दिन पहले है।

14. **इन बॉन्डों पर अर्जित ब्याज पर मुझे किस प्रकार कर लगेगा?**

पीएफसी के 85 बॉन्ड पर निवासी भारतीय निवेशकों को देय ब्याज पर स्रोत पर कर की कोई कटौती नहीं है। हालांकि, ऐसे निवेशक को लागू कानून के अनुसार अग्रिम कर के रूप में ब्याज आय पर कर का भुगतान करना पड़ सकता है।

15. **मेरे पास पीएफसी के 85 कैपिटल गेन बॉन्ड फिजिकल मोड में हैं। क्या मुझे 5 वर्ष बाद परिपक्वता/मोचन पर फिजिकल बॉन्ड प्रमाण पत्र सरेंडर करना होगा?**

आपको पीएफसी के 85 बॉन्ड के फिजिकल बॉन्ड प्रमाणपत्र को इसके मोचन/परिपक्व होने पर सरेंडर करने की आवश्यकता नहीं है। बॉन्ड को परिपक्वता पर (अर्थात आवंटन की मानित तिथि से 5 वर्ष की समाप्ति पर) पीएफसी द्वारा स्वचालित रूप से रीडीम किया जाएगा और मोचन आय पंजीकृत बॉन्डधारकों को भुगतान की जाएगी।

16. **बैंक खाता विवरण/पता/नामांकन विवरण/आदि में किसी भी परिवर्तन की सूचना मुझे कैसे देनी चाहिए?**

बैंक खाता विवरण/पता/नामांकन/आदि में संशोधन अनुरोध के लिए सभी फॉर्म https://pfcindia.co.in/ensite/Home/VS/10246 पर उपलब्ध हैं।

यह लिंक डुप्लीकेट बॉन्ड प्रमाणपत्र जारी करने के अनुरोध के मामले में ट्रांसमिशन, क्षतिपूर्ति फॉर्म की आवश्यकता का भी ध्यान रखता है।

*****

अस्वीकारोक्ति:

पीएफसी के 85 कैपिटल गेन बॉन्ड के संबंध में ऊपर पूछे गए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों में दी गई विभिन्न विशेषताओं को सूचना ज्ञापन में स्पष्ट किया गया है, जो पीएफसी की वेबसाइटों के साथ-साथ इश्यू रजिस्ट्रार के पास भी उपलब्ध हैं। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे पीएफसी के 85 कैपिटल गेन बॉन्ड में कोई भी निवेश करने से पहले इसे और संबंधित दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। ऊपर पूछे जाने वाले प्रश्नों और सूचना ज्ञापन के बीच किसी भी विसंगति के मामले में, सूचना ज्ञापन में बताए गए पैराग्राफ को ही मान्य माना जाएगा।

*****

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न –85 कैपिटल गेन टैक्स एग्जंप्शन बॉन्ड

1. **आयकर अधिनियम 1961 की धारा 85 के अंतर्गत हितलाभ के लिए निर्दिष्ट दीर्घावधि निर्दिष्ट परिसंपत्तियां क्या हैं?**

आयकर अधिनियम की धारा 85 के तहत दीर्घावधि निर्दिष्ट परिसंपत्तियां 5* (पांच) वर्षों के बाद मोचन योग्य कोई भी बॉन्ड हैं, जो अधिसूचित कंपनियों (वर्तमान में 4) द्वारा जारी किए गए हैं, जिसमें पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) भी शामिल है, जो विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन भारत सरकार का उद्यम है और जिसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (एनबीएफसी-आईएफसी) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

** दिनांक 01.04.2007 से 31.03.2018 के बीच तत्कालीन पात्र कंपनियों द्वारा जारी बॉन्डों के लिए यह अवधि 3 (तीन) वर्ष थी।*

2. **क्या अधिनियम की धारा 85 के अंतर्गत दावा की जाने वाली छूट की राशि की कोई सीमा है?**

जी, हां। 85 बॉन्ड में निवेश की एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम सीमा 50 लाख रुपए है।

3. **85 बॉन्ड में निवेश करने की समयसीमा क्या है?**

मूल परिसंपत्ति की बिक्री की तारीख से 6 माह की अवधि के भीतर 85 बॉन्ड में निवेश करना होगा।

4. **क्या यह हितलाभ अल्पावधि पूंजीगत अभिलाभ पर उपलब्ध है?**

जी, नहीं। यह लाभ केवल दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ के निमित्त ही प्राप्त किया जा सकता है।

5. **क्या 85 बॉन्ड को पांच वर्ष की परिपक्वता अवधि से पहले रीडीम किया जा सकता है?**

जी, नहीं। इन बॉन्डों को निर्दिष्ट परिपक्वता अवधि से पहले रीडीम नहीं किया जा सकता।

6. **क्या कोई व्यक्ति 85 बॉन्ड में 50 लाख रुपए से अधिक निवेश कर सकता है?**

जी, नहीं। अधिनियम की धारा 85 के अंतर्गत हितलाभ प्राप्त करने के लिए 85 बॉन्ड में निवेश की सीमा 50 लाख रुपए है।

*****

अस्वीकारोक्ति:
पीएफसी कर, निवेश, कानूनी या लेखा संबंधी सलाह नहीं देता है। उपर्युक्त सामग्री केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए तैयार की गई है और यह हमारी समझ पर आधारित है। उपर्युक्त का उद्देश्य कर, निवेश, कानूनी या लेखा आदि संबंधी सलाह प्रदान करना नहीं है और इस पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। पीएफसी उपर्युक्त सामग्री के आधार पर की गई कार्रवाइयों के लिए किसी भी तरह से कर लाभ, जुर्माना, हानि या किसी अन्य प्रकार के प्रतिकूल परिणाम की अस्वीकृति के लिए कोई जिम्मेदारी/दायित्व नहीं लेता है। किसी भी लेन-देन में शामिल होने से पहले अपने कर, निवेश, कानूनी और लेखा आदि सलाहकारों से परामर्श करना चाहिए।